फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

बाबूलाल बनाम सरकार

कज़मा संख्या / वर्ष 23 / 2022

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		कि वादग्रस्त आराजी ग्राम राहोरी तहसील जमवारामगढ़, जयपुर के नवीन ख० नं० 58 रकबा 1.0900 हे० जिनके सेटलमेन्ट पूर्व के साबिक ख० नं० 121 रकबा 1.0900 हे० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के नक्शे को हाल ख० नं० 58 के नक्शे कायम करते समय साबिक ख० नं० 121 के नक्शे के समान न कर नक्शे के संकुचित कर दिया है जो गलत है। जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित व विधि संगत है। उक्त विवादित भूमि के नक्शे को कम कर अप्रार्थी सं.2 लगायत 11 के नाम दर्ज ख० नं० 57 का नक्शा बड़ा कर दिया। इस प्रकार भू. प्रबन्धक विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ख० नं० 58 के नक्शे को कम व ख० नं० 57 के नक्शे को बड़ा कर दिया। जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 L.R. Act को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के नक्शे को पूर्व ख० नं० 121 के अनुसार दुरस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस	

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विविध
	मैं कहा कि मेरे जवाब के अनुसार दुरुस्त किया जाता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर विवादित भूमि के हाल नक्शे व विवादित ख० नं० 121 के पूर्व नक्शे को आच्छादित करने पर ख० नं० 58 का नक्शा कम व ख० नं० 57 का नक्शा को ज्यादा कर दिया गया है। जिसे पूर्व नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 LR Act को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम राहोरी तह० जमवारामगढ़ जिला जयपुर के ख० नं० 58 रकबा 1.0900 हे० भूमि के नक्शे को तहसीलदार जमवा-रामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार व पूर्व ख० नं० 121 के अनुसार दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवा-रामगढ़ को दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। पत्रावली में आदेश खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। 04 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला–जयपुर	